

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

Urgent

SPEED POST/ E-mail

B-29016/04/07/IPC-I/

December 30, 2019

To

The Regional Director Central Pollution Control Board 4th Floor, Sahkar Bhawan North T.T. Nagar, Bhopal- 462003

Sub: VIP reference regarding water pollution caused by M/s Grasim Industries Ltd., Nagda and diseases caused due to poisonous effluent generated from industries located in Nagda region, M.P. - reg.

Sir,

Please find enclosed a copy of letter of Shri Anil Firojiya, Hon'ble Member of Paliament (Lok Sabha), Ujjain, Madhya Pradesh dated December 30, 2019 regarding water pollution caused by M/s Grasim Industries Ltd., and diseases caused due to poisonous effluent generated from industries in the Nagda region, Madhya Pradesh, which is self-explanatory in nature. In this regard Shri Mukesh Balodhi, Sc.'D', Central Pollution Control Board, Delhi will join in the inspection. Kindly inform the date of visit in advance to him.

You are, therefore, requested to kindly investigate the matter along with officials from CPCB, head Office-Delhi and submit the action taken report to this office by January 13, 2020.

Yours faithfully,

Encl: as above

(Dinabandhu Gouda) Addl. Director & I/c IPC-I

Copy to:

1.PS to MS:

for information please.

2. Sh. Mukesh Balodhi, Sc.'D': IPC-I Division

requested to join the inspection team with RD, Bhopal.

(Dinabandhu Gouda)

Anil Firojiya Member of Parliament (Lok Sabha) Ujiain, Madhya Pradesh



Member:-

- Standing Committee on Food, Consumer Affairs & Public Distribution
- Standing Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
- · Consultative Committee on External Affairs

死.1.2./.101

दिनांक - 30-12-2019

श्री एस. पी. सिंह परिहार जी, अध्यक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, नई दिल्ली।

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी लोक सभा क्षेत्र के नागदा शहर की तीनों बड़ी फैक्ट्रियों से नागदा शहर मे काफी प्रदूषण का माहौल है। इन सभी औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले खतरनाक रसायन वाला जहरीला पानी चंबल नदी में बहाये जाने से नदी के समीप बसे गावों के लोगों को आए दिन कैंसर, मस्तिक ज्वर, दिमागी बुखार, आदि प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे है, जिससे उनके स्वास्थय पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

लोगों के स्वास्थय की दृष्टि को देखते हुये क्या मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा इन कंपनियों के अपिशष्ट उत्सर्जन से फैलने वाले प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से बचने के लिए कोई उपाए किए गए है।

यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए कृपया जांच समिति की टीम गठित किया जाए एवं उस जांच समिति मे मुझे भी सम्मिलित कर हुयी कार्यवाही को मुझे अवगत करने का कष्ट करें,।

धन्यवाद,

142374/11/5

Ms

ZUEL GEMIN

2 2 2 2 2

Du le trolle

30(414)

Delhi: 317, Western Court, New Delhi, 110001 · Phone - +91 11-23744780 Ujjain: 6, Bhakat Nagar, Dushehra Maidan, Ujjain, Madhya Pradesh.

Mobile: +91-8120003005 • Email: ujjainmp22@gmail.com

Anil Firojiya

Member of Parliament (Lok Sabha) Ujjain, Madhya Pradesh

死. 12/112



Member:-

- Standing Committee on Food, Consumer Affairs & Public Distribution
- Standing Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
- Consultative Committee on External Affairs

दिनांक - 27-12-2019

आदरणीय श्री प्रकाश जावडेकर जी, पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय – नागदा शहर मे स्थापित उद्योगों से बहने वाले खतरनाक रसायन वाला जहरीला पानी से होने वाली बीमारियों के लिए विशेष दल गठित कर मुझे उस जांच समिति दल मे सम्मिलित करने के संबंध मे ।

दिनांक 06-12-2019 को प्रश्न काल के दौरान मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 268 पर मेरे द्वारा पुछे गए पूरक प्रश्न (न. 2) के माध्यम से चंबल नदी मे ग्रासिम इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रतिदिन 11 लाख लीटर उपचारित अपशिष्ट उत्सर्जन करने के संबंध मे था।

जिससे नागदा शहर में स्थापित उद्योगों से बहने वाले खतरनाक रसायन वाला जहरीला पानी चंबल नदी में बहाये जाने से नदी के समीप बसे गावों के लोगों को कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए आपने सदन में एक विशेष दल गठित कर वहाँ भेज कर आवश्यक निर्णय लेने के लिए कहा था, उस जांच समिति की विशेष दल में मैंने अपने पत्र क्र. 12/105, दिनांक – 09-12-2019 के माध्यम से मुझे सम्मिलत करने का भी अनुरोध किया था।

कृपया इस संदर्भ में हुयी कृत कार्यवाही के बारे में मुझे अवगत कराने की कृपा करें।

सादर.

आपका

(अनिल फिरोजिया)

संलग्न – पत्र क्र. 12/105, दिनांक 09-12-2019

अनिल फिरोजिया संसद सदस्य (लोक सभा)

BO-12/105

उज्जैन-आलोट



निवास—6, भक्त नगर दशहरा मैदान, उज्जैन (म०प्र०) मो0—81200030005

email- ujjainmp22@gmail.com

दिनांक - 09-12-2019

आदरणीय श्री प्रकाश जावडेकर जी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

मेरे संसदीय क्षेत्र उज्जैन, मध्य प्रदेश के नागदा शहर मे स्थापित उद्योगों से बहने वाले खतरनाक रसायन वाला जहरीला पानी बहाया जा रहा है, जिससे चम्बल नदी के समीप बसे 22 गाँवों मे कैसर, लकवा जैसी विभिन्न बीमारिया हो रही है। इस संदर्भ मे मेरे द्वारा दिनांक 06-12-2019 को प्रश्न काल के दौरान मेरे तारांकित प्रश्न (प्रश्न संख्या -268) पर पुंछे गए अनुपूरक प्रश्न पर आपके दिये गए जवाब से मेरी क्षेत्र की जनता काफी खुश है और उन लोगों ने आपका आभार व्यक्त भी किया।

इस संदर्भ मे मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे अनुपूरक प्रश्न का आपके उत्तर देने के बाद आपने नागदा शहर मे स्थापित उद्योगों के द्वारा दूषित पर्यावरण के कारण होने वाली बीमारियों के लिए जांच समिति गठित करने की बात की, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया जांच समिति की होने वाली गठित टीम मे मुझे समंलित करने की कृपा करें।

सादर.

(牙왕 268)

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष जी, मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं कि मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए पानीपत से पोरबंदर तक 1400 किलोमीटर जंगल की दीवार बनाने की योजना बनाई जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी वन दीवार के लिए योजना बनाई है? ऐसे वन आवरण की कार्बन अवशोषण क्षमता क्या होगी?

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: आप एक साथ दो प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): मेरे अतारांकित प्रश्न के अनुसार यह पता चला है कि चंबल नदी में ग्रासिम इंडस्ट्रीज प्रतिदिन 11 लाख लीटर उपचारित अपशिष्ट का उत्सर्जन कर रही है। क्या ग्रासिम इंडस्ट्रीज में एसएफडी ने बैंक गारंटी के साथ समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत की है, अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्या प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार शून्य निर्वहन जनवरी, 2021 को या उससे पहले उद्योगों द्वारा शर्त प्राप्त की जाएगी? क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों के लिए कोई जुर्माना तय किया है? यदि वे प्रस्तावित कार्य योजना का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: माननीय अध्यक्ष जी, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं, पोरबंदर से हिरयाणा तक वन दीवार की बात कही गई है, इसके लिए प्रपोजल तैयार हो रहा है। यह अभी तैयार नहीं हुआ है।

एक अच्छी खबर है कि देश में पिछले पांच सालों में जंगल में और बाहर भी ट्री कवर 13,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। यह अच्छी खबर है। दुनिया में केवल दो-तीन देशों में ही ग्रीन कवर बढ़ा है। इसमें भारत का भी नंबर है, यह हम सबको अच्छा लगना चाहिए।

महोदय, विकास के लिए कभी-कभी पेड़ रिमूव करने पड़ते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करते हैं। अगर कहीं एक पेड़ रिमूव हुआ तो उसके एवज़ में दस पेड़ लगते हैं, बढ़ते हैं, हमने इसकी व्यवस्था की है। कैम्पा, कम्पेंनसेटरी एफोरेस्टेशन में हम ऐसा करने जा रहे हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए इतने पेड़ रिमूव किए हैं, तो दूसरा स्थान होगा जहां कम्पेनसेटरी एफोरेस्टेशन होगा। इन दोनों की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रहेगी और हर साल उस वैकल्पिक जंगल की कितनी बढ़ोतरी हो रही है, सब देख सकेंगे।

(1135/MK/KKD)

दूसरा सवाल आपने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा है। उसके लिए हम एक विशेष दल को वहां भेजकर स्थिति का जायजा लेंगे और आवश्यक निर्णय करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: यह क्वैश्वयन तो आपका था। आप तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। उज्जैन से पोरबन्दर तक पहुंच गए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, in regard to Mr. Gaurav Gogoi's Q. No 262, the Hon. Minister has submitted a detailed list.